शिविर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

पत्रांक 3622/ओएसडी/डीएम–कानपुर/कोविड–19/2020 दिनांक : 23–04–2020

आदेश

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल 2020 के माध्यम से यह निर्देश जारी किये गये हैं कि चन्द्र दर्शन के अनुसार रमजान माह दिनांक 23/24 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ हो रहा है। कोविड–19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए उक्त अवसर पर नमाज, सेहरी, इफ्तारी आदि घरों के अन्दर ही की जाए।

अतः तद्नुपालन में सर्वसंबंधित को निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि सोशल डिस्टेन्सिंग बनी रहे और लॉकडाउन का भी उल्लंघन न हो। साथ ही सभी संबंधित को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि कहीं भी सार्वजनिक रूप से और सामूहिक नमाज, सेहरी, इफ्तारी आदि के कार्यक्रम आयोजित न किये जाएं।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल कानपुर को सादर सूचनार्थ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
3–डी0आई0जी0/एस0एस0पी0 कानपुर नगर को इस अनुरोध से कि सभी शहर काजियान और जिम्मेदार नागरिकों को उक्त निर्देश के बारे में अवगत कराते हुए उनके सहयोग, समन्वय व सौहार्द्रपूर्ण ढंग से अनुपालन कराने हेतु प्रेषित।
4–नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
5–मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
6–समस्त अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर।
7–नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर।
8–नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
9–उपायुक्त, जी0एस0टी0 कानपुर नगर।
10–उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ
11–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर नगर।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।